



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017
दूरभाष : 0141-5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com



क्रमांक / संदर्भ / जय / प्रदेश प्रक्रिया / सीवीएसई-159/2676

दिनांक : 27/04/17

जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
जिला अजमेर एवं अलवर।

विषय:- स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों की अनापत्ती प्रमाण पत्र के क्रम में।

संदर्भ :- राज. सरकार शिक्षा ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.4 (15)शिक्षा-1/2008
पार्ट-II जयपुर दिनांक 19.04.2017

उपयुक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार से मॉडल स्कूल कठुमार एवं श्रीनगर का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(आशा गुप्ता)

उप निदेशक (मॉडल स्कूल)
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, संबंधित जिले।
4. प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल संबंधित ब्लॉक्स।
5. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
SVMS कठुमार

उप निदेशक (मॉडल स्कूल)

उपरोक्त कार्यवाही की पालना
है, अज्ञानी कार्यवाही (उपनिदेशक)
Riyam

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 20, 2017

संख्या 4(15)शिक्षा-1/2015 पार्ट :- केन्द्र परिवर्तित योजनान्तर्गत राज्य में सत्र 2017-18 से

निम्नांकित 02 मॉडल स्कूल प्रारम्भ किये जायेंगे :-

क्र.सं.	जिले का नाम	विद्यालय का नाम
1.	अजमेर	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक, श्रीनगर, जिला-अजमेर
2.	अलवर	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक, कटुनर, जिला-अलवर

उक्त 02 मॉडल स्कूलों को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :-

- उक्त मॉडल स्कूल राज्य में संचालित उच्च माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों के समरूप होंगे।
- शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश समान रूप से इन विद्यालय पर भी लागू होंगे।
- शिक्षा विभाग के अधिकारी इन विद्यालयों को राजकीय विद्यालय के रूप में सहयोग करेंगे।
- इन विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालयों में आवश्यक कार्मिकों को अतिरिक्त किया जायेगा।
- इन विद्यालयों में सह-शिक्षा का प्रावधान होगा।
- इन विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता दिलवाई जायेगी।
- इन विद्यालयों का संचालन सी.बी.एस.ई. विद्यालयों के कलेक्टर के अनुसार कराया जायेगा।
- मॉडल स्कूल का नाम 'स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल' होगा।

महेश गेरयानी,

शासन उप सचिव-प्रथम।